

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त नगर/मुहल्ले के निर्माण की स्वीकृति **शर्त** नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगर के विरोध निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त ही हो सकती है ।

रक्षा शिक्षणी केवल आवासीय योजना

न्याय नगर निगम, जोधपुर

दस्तावेज क्रमांक 836 दिनांक 01/01/2021

जी+1
आवासीय

श्रीमती जया लक्ष्मि देवी श्री दीपक कुमार लक्ष्मि देवी
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
 धारा 194 (1) (घ) के तहत आवासीय
 भवन निर्माण हेतु मानसिख कार्यालय न पत्र
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 10080/- जमा
 जारी रसीद संख्या 2062/7914, 2315
 दिनांक 01/01/2021 को जमा करा दी है ।

श. No: 949-ए ब्लॉक 11 पी डी रोड
सम्बलपुर

4/1/2021

सहायक नगर निवाहक
नगर निगम, जोधपुर

Vasun Prasad
4/1/2021
 9929098877